भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 284

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतें

***284. डॉ. के. सुधाकरः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाधान पोर्टल पर राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी शिकायतों का समाधान किया गया;

(ग) वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी शिकायतें लंबित हैं;

(घ) इन शिकायतों का समाधान करने में औसतन कितना समय लगा; और

(ङ) इन लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(**डॉ. मनसुख मांडविया**)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

<u>अनुबंध</u>

"समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतें" के संबंध में डॉ. के. सुधाकर, माननीय सांसद (लोक सभा) द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 284 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): समाधान पोर्टल पर कामगारों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं द्वारा दायर किए गए औद्योगिक विवादों, दावों और शिकायतों का निपटान केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

औद्योगिक विवादों (बर्खास्तगी सहित), विभिन्न अधिनियमों अर्थात उपदान संदाय अधिनियम 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत दावों और प्राप्त की गई, निपटाई गई एवं लंबित सामान्य शिकायतों की संख्या का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विवादों और दावों का समाधान संबंधित अधिनियमों के तहत सक्षम प्राधिकारियों के रूप में नामोदिष्ट सीआईआरएम अधिकारियों द्वारा सुलह और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। विवादों और दावों का समाधान करने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों जैसे शिकायतों की प्रकृति; मांगों की संख्या और प्रकृति आदि पर निर्भर करता है।

तीव्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में मुख्य श्रम आयुक्त और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा लंबित मामलों की नियमित आधार पर गहन निगरानी; अधिकारियों के बीच लंबित मामलों का विवेकपूर्ण वितरण; 29 नए सहायक श्रम आयुक्तों की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

*****

अनुबंध

"समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतें" के संबंध में डॉ. के. सुधाकर द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 284 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

समाधान पोर्टल: 2024-25 के लिए क्षेत्र-वार आंकड़े (30.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार)										
क्र.सं.	क्षेत्र	औद्योगिक विवाद (बर्खास्तगी सहित)			दावे (पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू विभिन्न अधिनियमों के तहत)			सामान्य शिकायतें		
		प्राप्त	निपटान किए गए	लंबित	प्राप्त	निपटान किए गए	लंबित	प्राप्त	निपटान किए गए	लंबित
1	अहमदाबाद	694	439	255	571	337	234	472	408	64
2	अजमेर	612	416	196	649	422	227	412	316	96
3	आसनसोल	206	81	125	154	77	77	110	88	22
4	बैंगलोर	594	302	292	1057	511	546	426	289	137
5	भुवनेश्वर	426	205	221	381	185	196	221	101	120
6	चंडीगढ़	930	711	219	1604	808	796	716	572	144
7	चेन्नई	543	339	204	1178	417	761	405	158	247
8	कोचीन	711	510	201	479	180	299	230	132	98
9	देहरादून	565	490	75	1318	491	827	646	388	258
10	दिल्ली	1862	1051	811	1992	558	1434	868	422	446
11	धनबाद	410	218	192	1078	441	637	286	133	153
12	गुवाहाटी	90	56	34	168	86	82	98	37	61
13	हैदराबाद	680	374	306	2277	557	1720	590	384	206
14	जबलपुर	564	400	164	2626	1891	735	710	303	407
15	कानपुर	800	601	199	762	307	455	544	278	266
16	कोलकाता	482	267	215	707	313	394	267	184	83
17	मुंबई	430	293	137	2424	707	1717	780	341	439
18	नागपुर	459	51	408	752	139	613	415	41	374
19	पटना	347	244	103	693	165	528	295	236	59
20	रायपुर	353	214	139	405	223	182	234	118	116
कुल		**11758**	**7262**	**4496**	**21275**	**8815**	**12460**	**8725**	**4929**	**3796**

* प्राप्त और लंबित मामलों में पिछले वित्त वर्ष से अग्रेषित मामले + चालू वित्त वर्ष में प्राप्त/लंबित मामले शामिल हैं

- पीजी : उपदान संदाय अधिनियम, **1972**
- एमडब्ल्यू : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,, **1948**
- एमबी : प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, **1961**
- ईआर : समान पारिश्रमिक अधिनियम, **1976**
- पीडब्ल्यू : वेतन संदाय अधिनियम,**1936**

*****